



2026:AHC:22761

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1407, वर्ष 2026

प्रदीप कुमार राय एवं 21 अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची हेतु अधिवक्ता : नमित श्रीवास्तव, प्रीतम कुमार पासवान

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नमित श्रीवास्तव के कनिष्ठ सहयोगी श्री पार्थ पाण्डेय (AOR A/P 1259/25) और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नमित श्रीवास्तव के कनिष्ठ सहयोगी श्री पार्थ पाण्डेय (AOR A/P 1259/25) ने याचिकाकर्ता संख्या 9, 13, 14, 18 और 19 की ओर से इस आधार पर याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है कि उन्हें मामले पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तदनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 9, 13, 14, 18 और 19 को क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

3. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि सभी याचिकाकर्ता उप-निरीक्षक हैं, जिन्होंने 30.11.2018 से पहले 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे उन लाभों के हकदार हैं जो याचिका संख्या **44330/2012** (घनश्याम तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में याचिकाकर्ताओं को प्रदान किए गए थे और उस पर जारी किए गए शासनादेशों के भी हकदार हैं। तर्क यह है कि उन्होंने 19 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है, अतः वे शासनादेश दिनांक 02.12.2020 के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार हैं।

4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सिविल विविध याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2012 और इसी प्रकार की याचिका (रिट-ए संख्या 6429/2018, दिनेश कुमार शुक्ला एवं 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य) जो 22.02.2018 को निर्णीत हुई थी, उस पर कोई विवाद नहीं किया। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय की नियमावली के अध्याय 8 नियम 5 के अंतर्गत अंतः-न्यायालय अपील में चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 07.09.2016 के निर्णय और आदेश द्वारा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तय किया गया था। उक्त निर्णय में याचिकाकर्ताओं के दावे को सिविल विविध याचिका संख्या **44330/2012** (घनश्याम तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2012 के अनुक्रम में न्यायोचित माना गया था।

5. उपरोक्त के आलोक में, यह याचिका प्रतिवादी संख्या 3, पुलिस उप-महानिरीक्षक (स्थापना), मुख्यालय, लखनऊ को निर्देशित करते हुए निस्तारित की जाती है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उचित निर्णय लें।

3 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"